राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 146/2025 (GCMS C.N. 2025/408) **निगरानी**

1. धनराज पुत्र बलदेव गुर्जर निवासी राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाडा (राज०)
2. नाराणी पत्नी बलदेव गुर्जर निवासी राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाडा (राज)

बनाम

1. बलदेव पुत्र किशन गुर्जर निवासी राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा (राज)
2. कालू पुत्र बलदेव गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ़ हाल तहसील काछोला0 जिला भीलवाड़ा (राज)
3. सरपंच /ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजगढ पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा बमामले मिसल संख्या 149 पट्टा सं. 43 दिनांक 28.06.2021

उपस्थित –

1. श्री श्यामलाल गुर्जर, अधिवक्ता, निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 28/01/2026

निगराकारान द्वारा उक्त निगरानी अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत गैर निगराकारान के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन है किया है कि ग्राम राजगढ़, ग्राम पंचायत राजगढ तहसील माण्डलगढ़ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाडा में निगराकारान् व गैर निगराकार संख्या–01 व 02 के पूर्वजो के जीवनकाल से एक पुश्तैनी मकान निर्मित होकर स्थित है जिनके पडोस पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम–आम रास्ता, उत्तर में चांदमल खटीक का मकान, दक्षिण में स्वयं (गैर निगराकार संख्या–01) का बाड़ा जिसके मध्य निराकारान् व गैर निगराकार संख्या–01 व 2 के पूर्वजों के जीवनकाल से मकान बना हुआ होकर निगराकार/प्रार्थीगण का भी हक अधिकार निहित है। गैर निगराकार संख्या–01 ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत राजगढ़ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर निगरानी की कलम नम्बर 01 में अंकित पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु पंचायत राज सामान्य नियम 157 (1) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया

28.1.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिस पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पत्रावली संधारण कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा पंचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में पट्टा संख्या–43 पत्रावली संख्या–149 सकल्प संख्या–02 दिनांक 19–03–2021 की अनुपालना में दिनांक 28–06–2021 को पट्टा विलेख जारी किया गया जो निरस्त योग्य है। प्रश्नगत पट्टा जो विधि विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है। क्योंकि पुश्तैनी मकान निगराकारान् व गैर निगराकार संख्या–01 व 02 के पूर्वजो के जीवनकाल से निर्मित शुदा होकर मकान बना हुआ है, तथाकथित पुश्तैनी मकान निगराकार/प्रार्थीगण का भी पूर्ण रूप से हक अधिकार निहित है। उक्त पुश्तैनी मकान के लिए गैर निगराकार संख्या–01 के साथ–साथ गैर निगराकार संख्या–02 एवं निगराकारान् का भी हित निहित होकर स्वतंत्र रूप से पट्टा बनाने के वैधानिक अधिकारी है। किन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या–01 से मिलीभगत कर षड्यन्त्र रचते हुए गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में विवादित पट्टा जारी किया गया जो खारिज योग्य है। क्योंकि तथाकथित पुश्तैनी मकान निगराकारान् व गैर निगराकार संख्या–01 व 02 के पूर्वजो के जीवनकाल से निर्मित होकर शामिल सरीक उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। जिसका कि पंचायत राज सामान्य नियम 157 (ख) के तहत पट्टा विलेख गैर निगराकार संख्या–01 जारी करने का कोई कानूनी व हक अधिकार नहीं है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी कर निगराकारान् के साथ–साथ गैर निगराकार संख्या–02 को अपने हक अधिकारो से वंचित कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पुश्तैनी मकान का पट्टा विलेख 43 दिनांक 28–06–2021 निरस्त योग्य है। अतः निगराकार/प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार कराई जाकर प्रश्नगत पट्टा निरस्त कराना फरमावें। तथाकथित पुश्तैनी मकान का अधीनस्थ ग्राम पचायत राजगढ़ ने गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में संकल्प संख्या–02 दिनांक 19–03–2021 के परिप्रेक्ष्य में मिसल / पत्रावली संख्या–149 पट्टा संख्या–43 दिनांक 28–06–2021 को जारी किया गया जिसे निरस्त कराया जाकर निगराकारान् व गैर निगराकार संख्या–01 व 02 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी कराने के आदेश अधीनस्थ ग्राम पचायत राजगढ को जारी कराना फरमावे।

उक्त निगरानी पंजीबृद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। गैर निगराकार 1 व 2 का जवाब प्राप्त हुआ। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

गैर निगराकार 01 व 02 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम राजगढ, ग्राम पंचायत राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा में निगराकारान् व गैर निगराकार संख्या–01 व 02 के पूर्वजो के जीवनकाल से एक पुश्तैनी मकान निर्मित होकर स्थित है। जिसके पड़ौस पूर्व में आम रास्ता। पश्चिम–आम रास्ता। उत्तर में चांदमल खटीक का मकान। दक्षिण में स्वयं (गैर निगराकार संख्या–01) का बाड़ा। उक्त चारो पड़ौसो के मध्य निगराकारान् एव हम गैर निगराकार संख्या–01 व 02 के पूर्वजो के जीवनकाल से मकान बना हुआ होकर निगराकार / प्रार्थीगण का भी हक अधिकार निहित है। गैर निगराकार संख्या–01 ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत राजगढ़ पचायत समिति माण्डलगढ़ तहसील काछोला के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर निगरानी की कलम नम्बर 01 में अंकित पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु पंचायत राज सामान्य नियम 157 (1) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पत्रावली संधारण कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा पचांयत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में पट्टा संख्या–43 पत्रावली संख्या–149 संकल्प संख्या–02 दिनांक 19–03–2021 की अनुपालना में दिनांक 28–06–2021 को

29.1.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पट्टा विलेख जारी किया गया। ग्राम राजगढ, ग्राम पंचायत राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा में निगराकारान् व गैर निगराकार संख्या–01 व 02 के पूर्वजो के जीवनकाल से एक पुश्तैनी मकान निर्मित होकर स्थित है। जिसके पड़ौस पूर्व में आम रास्ता। पश्चिम–आम रास्ता। उत्तर में चांदमल खटीक का मकान। दक्षिण में स्वयं (गैर निगराकार संख्या–01) का बाड़ा। उक्त चारो पड़ौसो के मध्य निगराकारान् व गैर निगराकार संख्या–01 व 02 के पूर्वजो के जीवनकाल से मकान बना हुआ होकर निगराकार/प्रार्थीगण भी उसमें निवास करते चले आ रहे है, तथाकथित पुश्तैनी मकान का अधीनस्थ ग्राम पचांयत राजगढ ने गैर निगंराकार संख्या–01 के पक्ष में संकल्प संख्या 02 दिनांक 19–03–2021 के परिप्रेक्ष्य में मिसल / पत्रावली संख्या–149 पट्टा संख्या–43 दिनांक 28–06–2021 को जारी किया गया। निगराकारान् की और से विवादित पट्टे के सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाए तो हम गैर निगराकार संख्या–01 व 02 को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत पटटा संख्या 43 जो कि संयुक्त परिवार के मकान को बनाया गया है जो निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता के संयुक्त स्वामित्व में है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत पोषणीय होने से स्वीकार की जाती है व ग्राम पंचायत राजगढ को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों के स्वामित्व के अनुरूप पुनः पटटा जारी करें। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी,ग्राम पंचायत राजगढ, पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.1.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा